न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— मिथलेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 2020/00036

1. रामा देवी पत्नी राकेश कुमार पुत्र इन्द्रराम जाति कुम्हार निवासी सिंचाई कॉलोनी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. कृतिका नाबालिग पुत्री रामा देवी पत्नी राकेश कुमार जाति कुम्हार निवासी सिंचाई कॉलोनी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. देशान्त नाबालिग पुत्र रामा देवी पत्नी राकेश कुमार जाति कुम्हार निवासी सिंचाई कॉलोनी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. नानूदेवी पत्नी इन्द्रराम जाति कुम्हार निवासी 16 बी.एल.डी. तहसील श्रीविजयनगर हाल आबाद चक 25 के.एन.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राकेश कुमार पुत्र इन्द्रराम जाति कुम्हार निवासी सिंचाई कॉलोनी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री रफीकशाह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री मनीराम जाखड़ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

आदेश दिनांक :— ....

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के ससूर इन्द्रराम राजकीय सेवा में सेवारत थे। दौराने सेवारत ससूर इन्द्रराम की मृत्यु हो गइ। इन्द्रराम की मृत्यु के उपरान्त जो राशि सरकार द्वारा इन्द्रराम के वारिसों के नाम जारी की थी। उस राशि के चक 25 के.एन.डी. के मु0नं0 152/40 के किला नं0 ता 8, 13 ता 18, 24 ता 25 की कुल 13.06 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि खरीद की थी। इन्द्रराम के वारिसों को राज्य सरकार के द्वारा दी गई राशि में प्रार्थीगण के पति/पिता का भी हक व हिस्सा था। विरास्त में मिली हुई धनराशि से ही अप्रार्थीगण ने भूमि क्रय की थी जिसमें प्रार्थीगण के पति/पिता का भी हक व हिस्सा जरिये विरासतन था। वादगत भूमि पर प्रार्थी सं0 2 व 3 का मुताबिक हिन्दू विधि जन्म से ही हिस्सा निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.01.06 20:27:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण सं0 2 ता 3 व स्वंय का भरण पोषण उपरोक्त वर्णित भूमि से करती आ रही है और अप्रार्थीगण वादगत भूमि विक्रय पर उतारू है। वादगत भूमि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पैतृक भूमि है। जो प्रार्थीगण सं0 2 व 3 के दादा द्वारा खरीद की थी। इसलिए वादगत भूमि में प्रार्थीगण का बाई बर्थ हिस्सा निहित है।   प्रार्थीगण ने चक 25 के.एन.डी. के मु0 नं0 152/40 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 24 ता 25 की कुल 13.06 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड पैतृक भूमि को अप्रार्थीगण रहन, बैय, मुन्तकिल न करे और अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण चाही गयी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण तलवी उपरान्त हाजिर आये और अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जबाब पेश किया गया । जवाब आने के बाद आदेश 6 नियम 17 की पालना में प्रार्थीगण ने संशोधित प्रार्थना पत्र पेश कर उसमें बताया कि प्रार्थीगण सं0 2 ता 3 नाबालिग संतान है। जो अपने पिता के हक तक भूमि पाने के अधिकारी है। इसलिए उनके अधिकारों का भी संरक्षण आवश्यक है। संशोधित प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण ने जवाब न देकर सीधे बहस का निवेदन किया साथ ही अप्रार्थीगण के अधिवक्ता पूर्व में पेश जवाब प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र के तमाम कथन निराधार है तथा उक्त भूमि अप्रार्थीगण सं0 1 की स्वार्जित सम्पति है और उसके जीवनकाल में उसके पुत्रों को वारिसो का अधिकार नहीं है तथा जीवन निर्वाह का साधन उक्त भूमि दी है। अप्रार्थीगण सं0 2 अप्रार्थीगण सं0 1 का सौतेला पुत्र है। अप्रार्थीगण सं0 1 उक्त भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। इसलिए किसी भी प्रकार से सुविधा का संतुलन व अपूतर्नीय क्षति का बिन्दू अप्रार्थीगण सं0 1 के हक में है। अप्रार्थीगण सं0 2 ने अपने जवाब में बताया कि पंजीकृत बैयनामा 31.07.1993 का है और इन्द्रराम की मृत्यु 10.05.1995 को हुई है। तो प्रार्थना पत्र के समस्त कथन स्वमैव ही झूठे साबित होते है। साथ ही मेरे जीवनकाल में मेरी पत्नी सम्पति प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है प्रार्थना पत्र सारहीन है खारिज फरमाया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए लिखित बहस मय दृष्टांत पेश की । उक्त भूमि पर हमारा अधिकार है। यदि दौराने वाद उक्त भूमि को रहन बैय मुतकिल कर दिया गया। तो हमें नुकसान होगा। इसलिए हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने जवाब के कथनों को दोहराते हुवे बताया कि अप्रार्थीगण सं0 1 के जीविकोपार्जन का साधन उक्त [illegible] भूमि है और वह उसके रिकार्डेड खातेदार है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में रिकॉर्डेड खातेदार के जीवनकाल में उसके हक व हिस्सा पाने के अधिकारी नहीं है प्रार्थना पत्र सारहीन है खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.01.06 20:27:11 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया । उक्त प्रार्थना पत्र पारिवारिक विवाद की वजह से पेश किया गया है जिसमें प्रार्थीगण अपनी सास व दादी की स्वाअर्जित खातेदारी भूमि में उनके जीवनकाल में ही हिस्सा चाहते है। जबकि उनके पति व पिता भी जीवित है और पति व पिता अप्रार्थीगण सं0 2 ने भी आपत्ति जाहिर की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ स्थगन प्राप्त नहीं कर सकते प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण सुविधा का संतुलन , अपूतर्नीय क्षति का बिन्दू साबित करने में विफल रहे है । अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है और प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.01.06 20:27:11 IST
Reason: SelfAttested